-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **iRAD पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन, सड़क दुर्घटना के मामलों में कार्यवाही, घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने तथा सड़क दुर्घनाओं में पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलाने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की कार्यशाला का किया गया आयोजन।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आज दिनांक 04.05.2025 को नवीन सभागार पुलिस लाइन में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले घायलों को अस्पताल पहुंचाने, सड़क दुर्घटना संबंधी अभियोगों की विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा मा0 न्यायालय और मोटरवाहन दावा प्राधिकरण में समय से रिपोर्ट प्रेषित करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी यातायात, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, यात्री कर अधिकारी, जनपद न्यायालय में स्थित मोटरवाहन दावा प्राधिकरण के शासकीय अधिवक्ता, विभिन्न बीमा कम्पनियों के स्थानीय अधिवक्ता, सभी थानों के सड़क दुर्घटना के अभियोगों के विवेचक तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। कार्यशाला में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क दुर्घटना में घायलों को डायल यूपी-112, एम्बुलेंस सेवा-108 के माध्यम से शीघ्र अस्पताल पहुंचाने तथा गोल्डेन ऑवर के समय प्रभावी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया जिससे हानि को न्यूनतम किया जा सके। सड़क दुर्घटनाओं की सूचना देने वालो को प्रोत्साहित करने तथा "गुड समेरिटन सर्टिफिकेट" देकर पुरस्कृत करने तथा विवेचनाओं के दौरान ऐसे जिम्मेदार एवं सामाजिक व्यक्तियों को विवेचक द्वारा परेशान न करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने कहा कि दुर्घटना स्थल पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का वीडियो iRAD पोर्टल पर शत प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित करें साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की एफआईआर iRAD के माध्यम से दर्ज किए जाएं। कार्यशाला में उपस्थित NIC के नोडल अधिकारी श्री विकास द्वारा सभी विवेचकों से अनुरोध किया गया कि कहीं भी सड़क दुर्घटना होती है तो मौके पर जाकर iRAD पोर्टल में तुरन्त सूचना अवश्य दर्ज की जाय। कार्यशाला में बताया गया कि iRAD में सूचना भरते ही परिवहन विभाग के RI द्वारा मौके पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का तकनीकि मुआयना कर सूचना ऑनलाइन भर दी जाती है। कार्यशाला में सभी विवेचकों को जानकारी दी गई कि सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित एफआईआर दर्ज होने पर एफआईआर की एक प्रति पीड़ित को एक प्रति मा0 न्यायालय भेजी जाए, एफआईआर दर्ज होने के 48 घण्टे के भीतर प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (First Accident Report-FAR) दावा प्राधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal-MACT) को सीधे भेजी जाएगी और एक कॉपी बीमा कम्पनी के नोडल अधिकारी को मेल के माध्यम से दी जाएगी। कार्यशाला में सभी विवेचको को निर्देशित किया गया कि 60 दिनों के भीतर सड़क दुर्घटना की विवेचना को हर हालत में पूरी कर आरोप पत्र सम्बन्धित मा0 न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। उसके उपरान्त विवेचको द्वारा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) तैयार की जाएगी। DAR को 90 दिनों के भीतर MACT को भेजा जाएगा जिसके आधार पर MACT द्वारा पीड़ितों को भुगतान हेतु आगे की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे मामलें जिनमें दुर्घटना करने वाले वाहन का पता नहीं चलता है और विवेचक द्वारा अभियोगों की विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है ऐसे हिट एण्ड रन के मामलों में पीड़ितो को मुआवजा देने के लिए अन्तिम रिपोर्ट की प्रति के साथ DAR रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी और वादी को भी अवगत कराया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मृतकों को 02 लाख रुपए तथा गम्भीर रुप से घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में अग्रिम निर्णय लिया जाता है। कार्यशाला में MACT के अधिवक्ता श्री अतुल शुक्ला व उनकी टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि नई नियमावली में सड़क दुर्घटना में घायलों/मृतकों को मुआवजा की प्रकिया में पुलिस विभाग का अहम योगदान है। विवेचक द्वारा समय से कार्यवाही कर दिए जाने की स्थिति में 06 माह के अन्दर दावे के भुगतान की कार्यवाही कर दी जाती है। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा डिस्ट्रिक्ट ई-मिशन से सम्बन्धित सभी सीसीटीएनएस कर्मियों को गिरफ्तारी प्रपत्र, सीजर प्रपत्र तथा अन्य सभी प्रपत्र समय से भरने हेतु निर्देशित किया गया।